बेबी रानी मौर्या
राज्यपाल, उत्तराखण्ड
एवं कुलाधिपति,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय,
हल्द्वानी।

राजभवन,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सं0 — /जी0एस0/शिक्षा/C7-12(1)/2019
देहरादून : दिनांक 16 जनवरी, 2019

आदेश

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी की परिनियमावली, 2009 के परिनियम–3(2) के अन्तर्गत आदेश संख्या–1512/जी0एस0/शिक्षा/C7-12(1)/2017 दिनांक 17.07.2018 द्वारा प्रो0 डी0 के0 नौड़ियाल, कुलपति, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल को अपने पदभार के साथ–साथ छः माह अथवा नियमित कुलपति की नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, तक के लिए कुलपति, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय का अतिरिक्त कार्यदायित्व सौंपा गया था, जिनका छः माह का कार्यकाल दिनांक 16 जनवरी, 2019 को पूर्ण हो रहा है।

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी में नये नियमित कुलपति के चयन की प्रक्रिया विचाराधीन है, जिसमें अभी समय लगने की सम्भावना है।

अतः उक्त स्थिति के दृष्टिगत उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय की परिनियमावली, 2009 के परिनियम–3(2)(ग) के अन्तर्गत प्रो0 डी0 के0 नौड़ियाल को कुलपति, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल के अपने पदभार के साथ–साथ उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति पद का अंतरिम कार्यभार दिनांक 17 जनवरी, 2019 से अग्रेत्तर छः माह अथवा नियमित कुलपति की नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, तक के लिए विस्तारित किया जाता है।

ह0/–
(बेबी रानी मौर्या)
कुलाधिपति

संख्या 3856 (1)/जी0एस0/शिक्षा/C7-12(1)/2017, तददिनांकित।
प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2- अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
3- अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4- सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली।
5- महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
6- प्रो0 डी0के0 नौडियाल, कुलपति, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
7- कुलसचिव, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।
8- कुलसचिव, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
9- निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)।
10- कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विक्रम सिंह यादव)
कुलाधिपति के संयुक्त सचिव।